

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(बइजलास गितेश श्री मालवीया, आर.ए.एस.)

(1) पंचायत निगरानी संख्या: 218/2020

प्रार्थी

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, जिला- सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, वाटेरा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही
2. अम्बादेवी पत्नी मगनलाल, जाति-मेघवाल, निवासी-वाटेरा, तह.पिण्डवाडा, जिला-सिरोही

(2) पंचायत निगरानी संख्या: 220/2020

प्रार्थी

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, जिला- सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, वाटेरा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही
2. पोनी पत्नी शंकरलाल, जाति-मेघवाल, निवासी- वाटेरा, तह. पिण्डवाडा, जिला-सिरोही

(3) पंचायत निगरानी संख्या: 230/2020

प्रार्थी

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, जिला- सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, वाटेरा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही
2. कमियादेवी पत्नी धर्माराम, जाति-मेघवाल, निवासी-वाटेरा, तह.पिण्डवाडा, जिला-सिरोही

(4) पंचायत निगरानी संख्या: 231/2020

प्रार्थी

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, जिला- सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, वाटेरा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही
2. कान्तादेवी पत्नी दानाराम, जाति-मेघवाल, निवासी-वाटेरा, तह.पिण्डवाडा, जिला-सिरोही

(5) पंचायत निगरानी संख्या: 235/2020

प्रार्थी

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, जिला- सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, वाटेरा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही
2. चम्पादेवी पत्नी मानाराम, जाति-मेघवाल, निवासी-वाटेरा, तह. पिण्डवाडा, जिला-सिरोही

.....पेज दो



बति. जिला कलेक्टर
सिरोही (राज.)

(6) पंचायत निगरानी संख्या: 236/2020

प्रार्थी

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, जिला- सिरौही

बनाम

अप्रार्थी

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, वाटेरा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरौही
2. रिकूदेवी पत्नी गोपालराम, जाति-मेघवाल,, निवासी-वाटेरा, तह.पिण्डवाडा, जिला-सिरौही

(7) पंचायत निगरानी संख्या: 237/2020

प्रार्थी

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, जिला- सिरौही

बनाम

अप्रार्थी

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, वाटेरा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरौही
2. प्रतापराम पुत्र भेराराम, जाति-मेघवाल, निवासी-वाटेरा, तह. पिण्डवाडा, जिला-सिरौही

(8) पंचायत निगरानी संख्या: 240/2020

प्रार्थी

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, जिला- सिरौही

बनाम

अप्रार्थी

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, वाटेरा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरौही
2. अंजूदेवी पत्नी वागाराम, जाति-मेघवाल, निवासी-वाटेरा, तह. पिण्डवाडा, जिला-सिरौही

“निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994”

उपस्थिति:

- 1.श्री नटवर लाल, सहायक विकास अधिकारी, कलक्टर कार्यालय, सिरौही
- 2.श्री दुर्गेश कुमार, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, वाटेरा

-: निर्णय :-

दिनांक 18 मार्च, 2021

(1) संक्षिप्त में इन प्रकरणों के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा द्वारा उपर्युक्त अनवान के अलग अलग निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत भूमि का निःशुल्क पट्टा जारी करने के संबंध में पारित प्रस्ताव संख्या 6 दिनांक 05.6.2017 एवं इस प्रस्ताव के अनुसरण में अप्रार्थी संख्या-2 को जारी पट्टा विलेख संख्या क्रमशः 14603 दिनांक 08.6.2017, 14605 दिनांक 08.6.2017, 14615 दिनांक 08.6.2017, 14616 दिनांक 08.6.2017, 14620 दिनांक 08.6.2017, 14621 दिनांक 08.6.2017, 14622 दिनांक 08.6.2017 व 14625 दिनांक 08.6.2017 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किये गये है।

(2) प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा द्वारा प्रस्तुत उक्त निगरानी आवेदन जिला कलक्टर न्यायालय, सिरौही के क्षेत्राधिकार के होने से जिला कलक्टर

....पेज तीन



.....
.....
.....

पंचायत निगरानी संख्या: 218/2020, 220/2020, 230/2020, 231/2020, 235/2020,
236/2020, 237/2020, 240/2020


न्यायालय, सिरौही में प्रस्तुत किये गये। जिला कलक्टर, सिरौही के आदेश क्रमांक:कोर्ट/2020/742-43 दिनांक 20.10.2020 से उक्त निगरानी आवेदन इस न्यायालय को सुनवाई हेतु स्थानान्तरित किये जाने पर इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किये जाकर इन सभी निगरानी प्रकरणों में अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जाकर तामिल करवाये गये। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या-2 को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होने एवं अप्रार्थी संख्या-2 की ओर से जवाब भी प्रस्तुत नहीं होने के कारण इन सभी प्रकरणों में अप्रार्थी संख्या-2 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। इन प्रकरणों में अप्रार्थी संख्या-1 (सरपंच, ग्राम पंचायत, वाटेरा) को नोटिस की तामिल होने पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 12.3.2021 को श्री दुर्गेश कुमार, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, वाटेरा ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर अलग अलग जवाब प्रस्तुत किये।

(3) उक्त सभी निगरानी प्रकरण समान तथ्यों एवं समान कानूनी बिन्दुओं पर आधारित होने एवं ये सभी निगरानी प्रकरण ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा जारी पट्टा विलेखों से संबंधित होने के कारण इन सभी निगरानी प्रकरणों में संयुक्त रूप से बहस सुनी जाकर इन प्रकरणों का एक ही निर्णय के द्वारा गुणावगुण पर निस्तारण किया जा रहा है।

(4) इन सभी प्रकरणों में दिनांक 12.3.2021 को श्री नटवर लाल, सहायक विकास अधिकारी, कलक्टर कार्यालय, सिरौही व ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, वाटेरा की बहस सुनी गई। बहस के दौरान श्री नटवर लाल, सहायक विकास अधिकारी, कलक्टर कार्यालय, सिरौही ने निगरानी आवेदनों में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में जो पट्टा जारी किया गया है वह नियम विरुद्ध जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत ऐसे परिवार, जिनके पास कहीं भी कोई भी गृह या गृह स्थल नहीं है और जिनका वर्ष 2003 तक झुग्गी-झोंपड़ी/कच्चे गृह के निर्माण के तौर पर आबादी भूमि पर कब्जा है, अधिकतम 300 वर्गगज तक कब्जे के निःशुल्क विनियमितिकरण करने का प्रावधान है, लेकिन मौके पर अप्रार्थी संख्या-2 का वर्ष 2003 से पूर्व का झोंपड़ा/कच्चा मकान व कब्जा नहीं है एवं न ही अप्रार्थी संख्या-2 निःशुल्क भूखण्ड प्राप्त करने की पात्रता रखता है। ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा अप्रार्थी संख्या-2 को राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत जिस भूमि में पट्टा जारी किया गया है वह भूमि ग्राम वाटेरा के खसरा संख्या 439 रकबा 1.05 बीघा राजकीय बिलानाम भूमि है, जिसकी पुष्टि इन प्रकरणों में प्रस्तुत श्री केतन ओझा, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, श्री हीराराम, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा व श्री चुन्नीलाल, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा की संयुक्त जांच रिपोर्ट से होती है। यह कि ग्राम पंचायत, वाटेरा को राजकीय बिलानाम भूमि में पट्टे जारी करने का अधिकार नहीं है। ग्राम पंचायत केवल ग्राम पंचायत के स्वामित्व की आबादी भूमि में ही पट्टे

....पेज चार




श्री. जिला कलक्टर
सिरौही (राज.)

पंचायत निगरानी संख्या: 218/2020, 220/2020, 230/2020, 231/2020, 235/2020,
236/2020, 237/2020, 240/2020

जारी कर सकती है। अतः इन निगरानी आवेदनों को स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में रियायती दर पर भूखण्ड के जारी पट्टा विलेखों को निरस्त किया जावे। बहस के दौरान ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, वाटेरा ने जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए सहायक विकास अधिकारी, कलक्टर कार्यालय, सिरौही के कथनों की ताईद की गई।

(5) इन प्रकरणों में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावलियों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा पंचायत बैठक दिनांक 05.6.2017 में प्रस्ताव संख्या- 6 पारित कर अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत भूमि का निःशुल्क पट्टे जारी करने का निर्णय लेते हुए इस प्रस्ताव संख्या 6 दिनांक 05.6.2017 के अनुसरण में अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत पट्टा विलेख संख्या क्रमशः 14603 दिनांक 08.6.2017, 14605 दिनांक 08.6.2017, 14615 दिनांक 08.6.2017, 14616 दिनांक 08.6.2017, 14620 दिनांक 08.6.2017, 14621 दिनांक 08.6.2017, 14622 दिनांक 08.6.2017 व 14625 दिनांक 08.6.2017 को जारी किये गये हैं। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के अन्तर्गत ऐसे परिवार, जिनके पास कहीं भी कोई गृह या गृह स्थल नहीं है और जिनका वर्ष 2003 तक झुग्गी-झोंपड़ी/कच्चे गृह के निर्माण के तौर पर आबादी भूमि पर कब्जा है, अधिकतम 300 वर्ग गज तक कब्जे के निःशुल्क विनियमितीकरण के हकदार होंगे। ऐसी भूमि का पट्टा (प्ररूप 23 ख) ऐसी महिला को जारी किया जायेगा जो ऐसे परिवार की मुखिया हो।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज श्री केतन ओझा, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, श्री हिराराम, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा व श्री चुन्नीलाल, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा की संयुक्त जांच रिपोर्ट की छायाप्रति एवं हल्का पटवारी, वाटेरा द्वारा ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, वाटेरा को उनके पत्र क्रमांक/2019-20/1150 दिनांक 2.10.2019 के क्रम में प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 02.10.2019 की प्रमाणित प्रतिलिपि के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा अप्रार्थी संख्या- 2 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के अन्तर्गत जिस भूमि के पट्टा विलेख जारी किये गये हैं, वह भूमि मौके एवं रेकर्ड अनुसार ग्राम वाटेरा के खसरा संख्या 439 रकबा 1.05 बीघा किस्म बा.IV राजकीय बिलानाम भूमि में जारी किये गये हैं। ग्राम पंचायत को राजकीय बिलानाम भूमि के पट्टे जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, वाटेरा ने राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी संख्या-2 को विधि विरुद्ध राजकीय बिलानाम भूमि के पट्टे जारी किये गये हैं। ऐसी स्थिति में, विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा द्वारा प्रस्तुत इन निगरानी आवेदनों को स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में पारित प्रस्ताव संख्या 6 दिनांक 05.6.2017 एवं

....पेज पांच




बति. जिला कलक्टर
सिरौही (च.व.)

पंचायत निगरानी संख्या: 218/2020, 220/2020, 230/2020, 231/2020, 235/2020,
236/2020, 237/2020, 240/2020

इस प्रस्ताव के अनुसरण में अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत जारी पट्टा विलेखों को निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा द्वारा प्रस्तुत इन सभी निगरानी आवेदनों को स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा पंचायत बैठक दिनांक 05.6.2017 में पारित प्रस्ताव संख्या 6 एवं इस प्रस्ताव संख्या 6 दिनांक 05.6.2017 के अनुसरण में अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में जारी पट्टा विलेख संख्या क्रमशः 14603 दिनांक 08.6.2017, 14605 दिनांक 08.6.2017, 14615 दिनांक 08.6.2017, 14616 दिनांक 08.6.2017, 14620 दिनांक 08.6.2017, 14621 दिनांक 08.6.2017, 14622 दिनांक 08.6.2017 व 14625 दिनांक 08.6.2017 को निरस्त किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। इस निर्णय की मूल प्रति पंचायत निगरानी संख्या 218/2020 की पत्रावली के साथ रखी जावे एवं अन्य प्रकरणों की पत्रावलियों में इस निर्णय की छाया प्रति रखी जावे।




(गितेश श्री मालवीया)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सिरोही